-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति द्वारा स्वंय को मृत दिखाने की साजिश कर कर्जदार की हत्या कर उसका शव कार में जलाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

घटना का विवरण-

दिनाँक 25.02.2026 को ग्राम प्रधान चौराखुर्द ने थाने पर सूचना दी कि ग्राम चौरखुर्द से ग्राम चांदपुर जाने वाले रास्ते पर सडक किनारे पुलिया के पास एक कार जली हुई हालत मे खडी है। जिसके अन्दर एक व्यक्ति का जला हुआ शव है। उक्त सूचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण व थानाध्यक्ष गागलहेडी मय फोर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एंव फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किये गये। घटनास्थल पर मिली कार की पहचान आल्टो व जली हुई नम्बर प्लेट से रजिस्ट्रेशन नम्बर यूए 09 3674 होना पाया गया। रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर गाडी मालिक की पहचान विमल उनियाल पुत्र कमलेश्वर प्रसाद उनियाल निवासी 13 ग्वार चम्बा, न्यू टिहरी टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड के रुप में हुई।विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि विमल उनियाल ने ये कार 2006 मे खरीदी व 2019 मे एक्सेज आफर मे नई गाडी प्राप्त कर ये गाडी मारूति कम्पनी को जमा कर दी तब से ये गाडी लगभग 7 या 8 जगह बिक चुकी थी। अन्तिम बार 16.02.2026 को अर्जुन कुमार ने ये कार खरीदी थी। थाना गागलहेडी पर अर्जुन का भाई विजय सागर पुत्र स्व0 सुरेन्द्र निवासी चानचक थाना बिहारीगढ थाना बिहारीगढ होते हुए रोबिन कुमार पुत्र बिजेन्द्र प्रजापति निवासी शेरपुर के साथ थाना गागलहेडी आया और मौखिक रूप से बताया कि जली हुई कार उसके भाई अर्जुन की है, अर्जुन और रोबिन जो अर्जुन की किया सोनेट गाडी चलाता था, के साथ जाने की बात कहकर वह दिनांक 24.02.26 को घर से निकला था तभी से वापस नही आया और उसका फोन बन्द आ रहा है।जिसके संबंध में थाना गागलहेडी पर उ0नि0 श्री रामबीर शाक्य द्वारा मु0अ0स0 66/26 धारा 103(1)/238/61(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया व विवेचा प्रारंभ की गयी।

पुलिस कार्यवाही-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना का सफल अनावरण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गागलहेडी के कुशल नेतृत्तव में दिनांक 28.02.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तगण 1.अर्जुन पुत्र स्व0 सुरेन्द्र निवासी ग्राम चानचक थाना बिहारीगढ थाना सहारनपुर 2.रोबिन पुत्र बिजेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर 3.सारिक पुत्र मलिक पुत्र शराफत निवासी छापुर शेर अफगानपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार। 4.विजय सागर पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चानचक थाना बिहारीगढ थाना सहारनपुर को बड़कला फ्लाईआवर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 किया सोनेट कार बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2024 में वह देहरादून में एक ब्यूटी पार्लर में वाहन चालक के रूप में कार्य करता था। उसी पार्लर में कार्यरत एक युवती द्वारा मेरे विरुद्ध थाना डालनवाला, देहरादून में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके कारण मैं लगभग 06 माह जेल में रहा ,जेल में मेरी मुलाकात सारिक से हुई जो अपहरण के मुकदमें में जेले में था। वर्तमान में मेरा मुकदमा विचाराधीन है। अभियुक्त ने बताया कि उसके अधिवक्ता द्वारा दुष्कर्म के मकुदमें में मुझे आजीवन कारावास की सजा होने की संभावना है, जिससे मैं अत्यंत भयभीत हो गया। इसी कारण मैंने स्वयं की मृत्यु प्रदर्शित कर मुकदमे से बचने की योजना बनाई। अभियुक्त अर्जुन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मैं पैठ क्षेत्र में लोगों को ब्याज पर धन उधार देने का कार्य करता था। मैंने ग्राम मौहम्मदपुर कन्धेला, थाना फतेहपुर निवासी रोहित पुत्र पाली (जाति कश्यप) को कई बार में धन उधार दिया था, जो ब्याज सहित लगभग ₹1,70,000 हो गया था। रोहित द्वारा पैसा वापस न करने और गायब हो जाने के कारण मैं उससे रंजिश रखने लगा था। लगभग एक माह पूर्व मैंने रोहित को खोज निकाला और मुझे पता चला कि रोहित स्मैक का आदी हो चुका है। फिर मैंने रोहित से दोस्ती बढ़ाई और अपने साथी रोबिन निवासी शेरपुर तथा सारिक निवासी उत्तराखण्ड (जिससे उसकी मुलाकात जेल में हुई थी) के साथ मिलकर योजना बनाई कि रोहित की हत्या कर उसके शव को कार में जला देंगें, जिससे लोग यह समझें कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है और मैं मुकदमे से बच जाऊंगा। इसी योजना के तहत मैंन एक आल्टो कार खरीदी फिर दिनांक 24.02.2026 को मरा साथी रोबिन, मेरी किआ सोनेट कार से तथा मैं स्वयं आल्टो कार से आगे-पीछे बिहारीगढ़ पहुंचे, जहां रोबिन ने पेट्रोल पम्प से दो प्लास्टिक कैनों में पेट्रोल भरवाया। इसके बाद भगवानपुर क्षेत्र में रायपुर ग्राम से पहले मढ़ी पर सारिक को भी बुलाया लिया, हम तीनों ने शराब का सेवन किया। तत्पश्चात रोबिन किआ सोनेट कार से ग्राम मौहम्मदपुर कन्धेला गया और रोहित को साथ ले आया। तभी उसने रोहित को नशा (स्मैक) कराया और फिर हम चारों व्यक्ति दोनों गाड़ियों से घटना स्थल की ओर चल दिये। फिर मैंने और सारिक ने मिलकर रोहित के मफलर से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को आल्टो कार की ड्राइवर सीट पर बैठा दिया। मफलर का एक सिरा मृतक के गले में तथा दूसरा बोनट पर रख दिया। कार के ड्राइविंग साइड के पिछले पहिए का एक बोल्ट खोल दिया और एक रॉड आदि कार की छत पर रख दी, जिससे दुर्घटना का रूप दिया जा सके। इसके बाद सारिक और रोबिन ने कार को धक्का दिया तथा अर्जुन ने स्टेयरिंग संभाला, लेकिन पुलिया से पहले ही कार फंस गई। मृतक की चप्पल को कार से कुछ दूरी पर रख दिया। फिर मैंने कार के अंदर एक कैन से पेट्रोल छिड़ककर कार में आग लगा दी जिसमें मैं भी थोड़ा झुलस गया था। इसके बाद हम तीनों किआ सोनेट कार से मौके से फरार हो गए। रोबिन ने मुझे और सारिक को सारिक के गांव के पास उतार दिया तथा स्वयं कार लेकर चला गया। फिर मैं और सारिक देहरादून चले गए, जहां मैंने पहचान छिपाने के उद्देश्य से अपने सिर के बाल छोटे करा लिए। देहरादून में अपने परिचितों के पास रुककर मैंने उनके नाम से सिम कार्ड निकलवाया और अपने भाई विजय सागर को फोन कर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कहा, ताकि यह प्रतीत हो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अर्जुन पुत्र स्व0 सुरेन्द्र निवासी ग्राम चानचक थाना बिहारीगढ थाना सहारनपुर

2.रोबिन पुत्र बिजेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

3.सारिक पुत्र मलिक पुत्र शराफत निवासी छापुर शेर अफगानपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार।

4.विजय सागर पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चानचक थाना बिहारीगढ थाना सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➢ 01 किया सोनेट कार नम्बर यूपी 11 डीई 4791 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अमित कुमार थानाध्यक्ष गागलहेडी,सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना गागलहेडी,सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना गागलहेडी,सहारनपुर
4. हे0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेडी,सहारनपुर
5. हे0का0 790 कपिल तेवतिया थाना गागलहेडी,सहारनपुर
6. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी,सहारनपुर
7. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी,सहारनपुर

दिनांक: 01.03.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 बैटरा व 1800/- रू नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2026 को वादी श्री सुमित कुमार पुत्र धीरज सिंह निवासी ग्राम बाढीमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा कि लिखित तहरीर पर अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में वादी के घऱ से इन्वर्टर बैटरा व सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर लेने के संबंध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 112/2026 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त **शहजाद पुत्र असलम उर्फ अकबर निवासी ग्राम दतोली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम सलारपुरा के निकट आम के बाग से गिरफ्तार किया गया।जिनके कब्जे से चोरी गये 01 इन्वर्टर बैटरा व 1800/- रूपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उफरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मै ग्राम दतोली का रहने वाला हूँ। मै और मेरा साथी नशे के आदि है और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए हम दोनो ने दिनांक 26/27 फरवरी की रात्रि को ग्राम बाढी माजरा में एक घर से 01 बैटरे, एक इनवर्टर व कुछ सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिये थे। आज मै और मेरा साथी इस बैटरो के बेचने के लिए जा रहे थे कि तभी पुलिस ने हमें पकड लिया तथा मेरा साथी पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस ने मुझसे जो 1800/- रूपये बरामद किये हैं वो हमने चोरी किये गये बैटरे को बेचकर प्राप्त किये हैं। हम दोनो ने एक व्यक्ति को बैटरा 5000/- रू0 बेच दिया था और आपस में बराबर-बराबर रुपये बाँट लिये थे। बाकी चोरी का सामान मेरे दूसरे साथी के पास है।

बरामदगी का विवरण -

- 01 बैटरा
- 1800/- रूपये नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद पुत्र असलम उर्फ अकबर निवासी ग्राम दतोली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 आदित्य कुमार भाटी थाना गंगोह सहारनपुर
2. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
3. हे0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह सहारनपुर
4. हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह सहारनपुर

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

दिनांक- 01.03.2026

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना सदर बाजार पुलिस एवं ए0एन0टी0एफ थाना मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 03 अंतरराष्ट्रीय शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 05 किलो 99 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रूपये) एंव 4630/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद मे अपराध नियन्त्रण, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओ की तस्करी / बिक्री की रोकाथाम व इन गतिविधियो मे शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस एवं ए0एन0टी0एफ थाना मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 03 नफर शातिर नशा तस्कर अभियुक्ता 1. जयमाति कुमारी देवी पत्नी मदन प्रसाद महतो धानुक पुत्री असर्फी महतो धानुक निवासी ग्राम जीतपुर, वार्ड- 08, थाना सिमरा जिला बारा, मधेश प्रान्त, नेपाल राज्य, 2. हसन तारा खातून पत्नी कमसुल मियां धोबी पुत्री खलील मियां धोबी निवासी ग्राम जीतपुरभवानीपुर, वार्ड 07, थाना सिमरा जिला बारह, मधेश प्रान्त, नेपाल राज्य 3. रूकशाना खातून पत्नी भुअर शेख उर्फ अब्दुल्ला शेख निवासी वार्ड 11, बेहरा, बिचला मस्जिद के पास थाना सिकटा, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), बिहार राज्य को जनमंच के पीछे ,गंगोह बस अडडा जाने वाला रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 05 किलो 99 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 122/26धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। । गिरफ्तार अभियुक्ताओ उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्ताओ के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1. जयमाति कुमारी देवी पत्नी मदन प्रसाद महतो धानुक पुत्री असर्फी महतो धानुकनिवासिनी ग्राम जीतपुर, वार्ड-08, थाना सिमरा जिला बारा, मधेश प्रान्त, नेपाल राज्य,
2. हसन तारा खातून पत्नी कमसुल मियां धोबी पुत्री खलील मियां धोबी निवासिनी ग्राम जीतपुरभवानीपुर, वार्ड 07, थाना सिमरा जिला बारह, मधेश प्रान्त, नेपाल राज्य
3. रूकशाना खातून पत्नी भुअर शेख उर्फ अब्दुल्ला शेख निवासिनी वार्ड 11, बेहरा, बिचला मस्जिद के पास थाना सिकटा, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), बिहार

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 05 किलो 99 ग्राम अवैध अफीम
- 03 मोबाईल फोन
- 4630/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजेन्द्र सिह थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
2. उ0नि0 बन्टी सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 पंकज कुमार थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
4. का0 अंकित कुमार थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
5. का0 रोहित थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
6. का0 अंकुश कुमार थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
7. म0है0का0 शैली शर्मा थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
8. म0का0 पूजा थाना ए0एन0टी0एफ जनपद मेरठ
9. है0का0 498 आवेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
10. म0का0 619 पारूल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांक: 01.03.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 गैस सिलेन्डर , गैस भट्टी व अन्य सामान बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को वादी नौशाद अली पुत्र ईनामुल निवासी इब्राहिम नगर,थाना कोतवाली देहात की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा प्रा0 विधायलय शाहपुर कदीम से गैस सिलेन्डर , भट्टी व बर्तन चोरी कर लेने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 305(e) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोत घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2026 को थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1.कनिष्क पुत्र धर्मपाल शर्मा निवासी लक्ष्मीनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. शाजेब पुत्र रहीस निवासी नूरबस्ती गली नं0 02 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया **गैस सिलेन्डर , गिलास , गैस भट्टी व अन्य सामान** बरादम हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. कनिष्क पुत्र धर्मपाल शर्मा निवासी लक्ष्मीनगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. शाजेब पुत्र रहीस निवासी नूरबस्ती गली नं0 02 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- गैस सिलेन्डर , गिलास , गैस भट्टी व अन्य सामान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 958 संदीप भाटी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 2445 जयकिशन थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2026 को वादी श्री अनस पुत्र गुलजार निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल स्पलैन्डर रंग काला को चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 82/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारन श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान अभियुक्त **संजीव कुमार पुत्र धनीराम नि0 इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को वादी की एक मोटर साईकिल स्पलैन्डर रंग काला के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव कुमार पुत्र धनीराम नि0 इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटर साईकिल स्पलैन्डर रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 570 योगेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।